

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।  
(एल-25, रामगंगा विहार, फेस-प्रथम, सोनकपुर स्टेडियम, कॉठ रोड, मुरादाबाद-दूरभाष सं०-0591-2450066)  
पत्रांक / दिनांक, मुरादाबाद, अक्टूबर, 2015.

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय:- जनपद मुरादाबाद में लोकोशेड सेतु के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि जनपद मुरादाबाद में परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, सेतु निर्माण इकाई, मुरादाबाद द्वारा एन०एच०-24 (मुरादाबाद-दिल्ली मार्ग) कि०मी० 155 से 156 के मध्य दोलेन उपरिगामी सेतु के चौड़ीकरण हेतु क्षेत्रफल 0.602 है० संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य प्रस्तावित है, जिसके कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में विषयक प्रस्ताव एम०आइ०जी०डी० वेवसाइट पर डी०एफ०ओ०, मुरादाबाद के स्तर से फार्म-11 अपलोड कर दिया गया है तथा प्रस्ताव 5 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति सहित प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही कर प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करना चाहें।

संलग्नक-प्रस्ताव की 5 प्रतियाँ मूल में।

भवदीय,

*Bonik Ch. Bishwa*  
(डा० बी०सी० ब्रह्मा)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मुरादाबाद।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री डी०के० गुप्ता, परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, सेतु निर्माण इकाई, एम०आइ०जी०डी०-8, रामगंगा विहार, फेस-1, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० बी०सी० ब्रह्मा)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मुरादाबाद।